रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2007/आषाढ़ 27, 1929
No. 80] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2007/ASADHA 27, 1929

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2007

आ.अ. 102(अ).—यतः आयोग ने, अरूणाचल प्रदेश राज्य के संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए सह-सदस्यों के विसम्मत प्रस्तावों के साथ अपना प्रस्ताव अरूणाचल प्रदेश के राजपत्र के असाधारण अंक के साथ-साथ भारत के राजपत्र, दोनों में, 9 जुलाई, 2007 को परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उप-धारा (2) के अनुसरण में प्रकाशित किया है; और

2. यतः, श्री किरेन रिजिजु, सांसद तथा अरूणालय प्रदेश राज्य के परिसीमन आयोग के सह-सदस्य ने अपने दिनांक 2 जुलाई, 2007 के पत्र द्वारा अरूणाचल प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में एक विसम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । बाद में उन्होंने उसे प्रकाशित न करने का अनुरोध किया । अब उन्होंने पुनः दिनांक 11 जुलाई, 2007 को संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित प्रारूप के संबंध में विस्म्मत नोट प्रस्तुत किया है और उसे विसम्मत नोट के रूप में प्रकाशित करने का निवेदन किया है ।

3. यतः, आयोग ने सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद श्री किरेन रिजिजु, सांसद तथा सह-सदस्य के विसम्मत नोट को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है ।

4. इसलिए, अब, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, आयोग एतद्द्वारा श्री किरेन रिजिजु का विसम्मत नोट प्रकाशित करता है ।

5. इस विसम्मत प्रस्ताव के संबंध में कोई भी आक्षेप या सुझाव, सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को 23 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व पहुंच जाने चाहिए ।

सदस्य : ऊर्जा पर स्थायी समिति

सदस्य : पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पर परामर्शदायी समिति
तथा डोनर, युवा मामले, खेल तथा पंचायत राज ।

दिनांक 11-7-2007

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
परिसीमन आयोग,
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली

महोदय,

मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें तथा अरूणाचल प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रारूप पर मेरे विचार प्रकाशित करें ।

1. प्रारूप प्रकाशन में पश्चिम सियांग जिले को दो भागों में विभक्त करते हुए 2-अरूणाचल पूर्व में, विधान सभा खण्डों-31-लिरोमोबा, 32-आलो शहरी, 33-आलो ग्रामीण, 34-लिकाबाली को रखा गया है । पश्चिम सियांग जिले का विभाजन पश्चिम सियांग के लोगों के लिए प्रशासनिक और सामाजिक तौर पर बहुत असुविधा पैदा करेगा । चार विधान सभा खण्डों को 1-अरूणाचल पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मिला देना चाहिए जैसा कि यह, पश्चिम सियांग जिले का विभाजन किए बिना पहले था ।
2. 29-रूमगोंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2-अरूणाचल पूर्व संसदीय निर्चान क्षेत्र में मिला देना चाहिए ।
3. पश्चिम कामेंग जिला में थिरिजिनों सर्किल और नफरा सर्किल के बीच की दूरी 250 कि.मी. से भी अधिक है । इसलिए, थिरिजिनों सर्किल का 7-बोमडिला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाना न्यायोचित नहीं है । अत: थिरिजिनों सर्किल को पहले की तरह 6-थिरिजिनों सिनचुंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग के रूप में रखा जाना चाहिए । इसके साथ ही, इससे अका समुदाय, जो कि एक अल्पसंख्यक जनजाति है, के विभाजन से बचा जा सकेगा ।

धन्यवाद ।

आपका

ह./-

(किरेन रिजिजु)

[सं. 282/अरूणाचल प्रदेश/2007-V]

शंगारा राम, सचिव

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2007

O.N. 102(E).—Whereas, the Commission has published its proposal for the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Arunachal Pradesh, alongwith the dissenting proposals of the Associate Members, in the extraordinary issue of the Gazette of Arunachal Pradesh as well as the Gazette of India, both dated 9th July, 2007, in pursuance of sub-section (2) of Section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002); and

2. Whereas, Shri Kiren Rijiju, MP and Associate Member of the Delimitation Commission from the State of Arunachal Pradesh, has, *vide* his letter dated 2nd July, 2007, submitted a dissenting proposal regarding Parliamentary Constituencies of Arunachal Pradesh. Subsequently he requested not to publish the same. Now he has again submitted dissenting note dated 11th July, 2007 in respect of proposed draft Parliamentary Constituencies and has requested to publish the same as a dissent note.

3. Whereas, the Commission after considering all relevant factors decided to publish the note of dissent of Shri Kiren Rijiju, MP and Associate Member.

4. Now, therefore, in pursuance of Sub-section (2) of Section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the Commission hereby publishes the note of dissent of Shri Kiren Rijiju.

5. Any objection or suggestion with regard to this dissenting proposal only should reach the Secretary, Delimitation Commission, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001 on or before 23rd July, 2007.

Member : Standing Committee on Energy

Member : Consultative Committee on Petroleum and Natural Gas and DoNER, Youth Affairs, Sports and Panchayat Raj.

Dtd. 11-07-2007

To,

The Hon'ble Chairman,
Delimitation Commission,
Nirvachan Sadan,
Ashok Road,
New Delhi.

Respected Sir,

I would like to request you to kindly consider the following points and to publish my views on the draft Parliamentary Constituencies of Arunachal Pradesh :—

1. In the draft Publication of the Assembly segments of 31-Liromoba, 32-Aalo Urban, 33-Aalo Rural, 34-Likabali has been put under 2-Arunachal East bifurcating the district of West Siang. The bifurcation of West Siang District will cause great inconvenience to the people of West Siang, Administratively and Socially. The four Assembly segments should be merged with 1-Arunachal West Parliamentary Constituency, as it was earlier without dividing West Siang District.

2. The 29-Rumgong (ST) Assembly Constituency may kindly be merged with 2-Arunachal East Parliamentary Constituency.

3. In West Kameng District the distance between Thrizino Circle and Nafra Circle is more than 250 Kms. Therefore, the inclusion of Thrizino Circle with 7-Bomdila Assembly Constituency is unjustified. Therefore, Thrizino Circle should be retained as part of earlier 6-Thrizino-Sinchung Assembly Constituency. Moreover, this will avoid the division of Aka Community which is a Minor Tribe.

Thanking you sir,

Yours Sincerely

Sd./-

(KIREN RIJIJU)

[No. 282/ARUN/2007-V]

SHANGARA RAM, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.